International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
ISSN -2393-8048, July-December 2022, Submitted in August 2022, iajesm2014@gmail.com

सुधारक के रूप में गोविन्द गुरू के उपाय

डॉ0 पवन कुमारी, सहायक आचार्य, एस.के.जी.वी.पी.जी. महाविद्यालय, संगरिया

प्रस्तावित शोध की भूमिका

गोविन्द गुरू का जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बेदसा ग्राम के एक बनजारे के घर में हुआ था। उन्होंने गांव के पुजारी की सहायता से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वह स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा में जुट गए।

भीलों में समाज सुधार का कार्य श्री गोविंद गुरू ने प्रारम्भ किया था। उन्होंने भीलों के नैतिक और भौतिक जीवन को सामाजिक और धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर सुधारने का प्रयास किया। गोविंद गुरू की शिक्षाओं ने भीलों में नवीन जागृति उत्पन्न की और उनका धर्म व समाज सुधार आंदोलन राजनीतिक व आर्थिक विद्रोह में परिणित हो गया।

उन्होंने धूनी और निशान बांसिया ग्राम में स्थापित किया और आस–पास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी प्रारम्भ की। उनकी मुख्य शिक्षा उनके स्वयं के शब्दो में इस प्रकार थी –

''मैने जब भीलों के मध्य रहना प्रारम्भ किया तब उन्हें सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जो भी भील मेरे पास आए, मैने उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने तथा ईश्वर की आराधना करने को कहा। मैनें उनसे कहा कि वे नफरत की भावना न रखें किन्तु सभी को एक ही परमात्मा की संतान समझें और दूसरों के साथ शांति से रहने का प्रयास करें। वे भूत, प्रेत चुडैल आदि पर विश्वास न करें बल्कि उनको भगाने के लिये धूनी और निशान की पूजा करें'' उन्होंने भीलों से मांस व मदिरा सेवन न करने का आव्हान किया।

प्रस्तावित शोध के सोपान

अपनी शिक्षा व कल्याणकारी कार्यों से वे भीलों में लोकप्रिय हो गए। धीरे–धीरे उनका प्रभाव भीलों में बढ़ता गया। भीलों को एकत्रित करने के लिये 1905 में उन्होंने सम्प सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों को संगठित किया। उन्होंने एक ओर तो उनमें व्याप्त सामाजिक बुराईयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया जो दूसरी ओर उनको अपने मूलभूत अधिकारों का अहसास कराया।

भीलों में बढ़ती जागृति से आसपास की रियासतों के शासक संशक्ति हो उठे। राज्य अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में गोविन्द गुरू व उनके पंथ को उखाड़ ने का प्रयास किया। भीलों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा व उन्हें पथ छोड़ने को विवश किया जाने लगा। कुछ मामलों में उन्हें जबरन मद्यपान के लिये विवश किया गया। जागीरदार और राज्य ने गोविन्द गुरू को डूंगरपुर छोड़ने के विवश किया गया। राज्याधिकारियों के कार्यों ने भीलों के मन में घृणा उत्पन्न कर दी तथा उन्हें राज्याधिकारियों के विरूद्ध राजनैतिक आंदोलन छेड़ने को विवश कर दिया।

प्रस्तावित शोध का महत्त्व

भीलों का गोविन्द गुरू के नेतृत्व में आन्दोलन असफल रहा, किन्तु इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। इस आन्दोलन ने भीलों में चेतना जागृत कर दी और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग कर दिया। इस आन्दोलन ने न केवल भीलों में वरन् दक्षिण राजस्थान के दूसरे समाज के लोगों में भी चेतना उत्पन्न कर दी। इससे कृषक आन्दोलन व राजस्थान में स्वतंत्रता आन्दोलन को काफी प्रोत्साहन मिला।

आन्दोलन के तुरंत पश्चात् अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेष व गुजरात के भीलों की दशा के बारे में काफी पूछताछ की। उन्होंने कुछ हद तक उनके जंगल के अधिकारों को स्वीकार कर लिया। उनके लिये जाने वाले भू–राजस्व, लाग–बाग तथा बेगार में भी कमी की गई। इस प्रकार यह आन्दोलन भीलों की मुक्ति का प्रतीक बन गया।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

1913 के भील आन्दोलन का तात्कालिक कारण गोविंद गुरू के नेतृत्व में धार्मिक आन्दोलन था। उनके प्रयासों से राजपूताना के दक्षिणी भाग के पहाड़ी इलाकों के भील पूरी तरह से संगठित हो गये थे। उनमें जागरण की नई लहर आ गई थी। वे राज्य के दमन, शोषण और अत्याचार का मुकाबला करने को हर प्रकार से तैयार हो रहे थे। सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ के राजा इससे चिंतित हो उठे। उन्होंने भीलों को कुचलने और उनकी शक्ति को छिन्न–भिन्न करने के हर संभव प्रयास किये, किन्तु वे सफल नहीं हो सके। अप्रेल 1913 में डूंगरपुर राज्य की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके परिवार को भी पुलिस निगरानी में रखा गया। उन्हें तीन दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन डूंगरपुर राज्य से बाहर चले जाने को कहा गया। वह गुजरात के ईडर राज्य में चले आए, किन्तु वहां के शासक ने भी उन्हें वहां से भगाने का प्रयास किया।

गोविंद गुरू और उनके शिष्यों को जिस प्रकार राज्य द्वारा आक्रांत किया गया, उससे उन्हें भील राज्य बनाने तथा सामंतवाद के पंजों से मुक्त होने को विवश कर दिया। ईडर से वह अपने साथियों सहित मानगढ़ की पहाड़ी (बांसवाड़ा और सूंथ राज्य की सीमा पर स्थित) पर चल दिये। पहाड़ी घने वन से घिरी हुई थी और इस प्रकार प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। गोविंद गुरू ने अक्टूबर 1913 को भीलों को मानगढ़ से एकत्रित होने के लिय चारों ओर संदेश भेज दिए। भील अपने साथ रसद व हथियार काफी मात्रा में ले आये। यह भी अफवाह शैली कि भील दिवाली से चार दिन पूर्व सूंथ राज्य पर आक्रमण करेंगे। वस्तुतः गोविंद गुरू के कट्टर अनुयायियों से केवल मानगढ़ पहुंचने को कहा गया था, ये समर्थक चलते वक्त भील पालों को अधिकारियें के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही के लिये तैयार रहने को कह गए।

30 अक्टूबर 1913 को पुलिस थानेदार ने दो सिपाहियों को यह देखने के लिये कि वहां क्या हो रहा है, मानगढ़ भेजा। इन सिपाहियों को भीलों ने पकड़ लिया। इनमें से एक सिपाही को मार डाला गया व दूसरे को बुरी तरह पीटा गया। एक नवम्बर को कुछ भीलों ने प्रतापगढ़ के सूंथ किले पर भी आक्रमण किया, किन्तु असफल होकर लौट आए। भीलों की इस कार्यवाही ने सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्य को चौकन्ना कर दिया। उन्होंने ए.जी.जी. से प्रार्थना की कि गोविंद गुरू को गिरफ्तार किया जाय और भीलों के इस हिंसक संगठन को समाप्त किया जाये।

शोध का निष्कर्ष

8 नवम्बर को फौजी पलटनों ने मानगढ़ की पहाड़ियों पर अंधाधूंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सैनिकों ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर से गोलिया बरसाई जाने लगी। करीब 1500 भील मारे गए और उनके नेता गोविंद गुरू को गिरफ्तारर कर लिया गया। उन्हें अहमदाबाद की जेल में भेज दिया गया और इस प्रकार भीलों के आन्दोलन को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया।

गोविंद गुरू पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 20 वर्ष की सजा में परिवर्तन कर दिया गया। गोविंद गुरू की लोकप्रियता को देखते हुए इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। सन् 1930 में उन्हें इस षर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. रघुवीर सिंह : पूर्व आधुनिक राजस्थान, उदयपुर 1951 ई.
2. राणावत, मनोहर सिंह : 16 वीं शदी का राजस्थान, अजमेर, 1977 ई.
3. राम, पेमा, डा. : मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, जयपुर 1977 ई.
4. रेऊ, बी.एन. : मारवाड़ का इतिहास, भाग 1–2, जोधपुर, 1940 ई.
5. शर्मा, एम. एल. : राजस्थानी भाषा और साहित्य, इलाहाबाद, वि.स. 2006 ई.
6. सिंह, करणी, डा. : बीकानेर के राजघराने से केन्द्रीय सत्ता से संबंध (1465–1949) बीकानेर 1968 ई.
7. सिंह, मोहन : शेखावटी में स्वतंत्रता का इतिहास, 1990 ई.
8. सिंह, अयोध्या : भारत का मुक्ति संग्राम, 1977 ई.